प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 96/2023)

तत्काल प्रकाशना के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग के सृजन हेतु प्रयुक्त या सीमित रुप में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले एवं लाइसेंस रहित के उपयोग पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **''टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग के सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित रुप में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले एवं लाइसेंस रहित के उपयोग पर परामर्श पत्र''** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 08.12.2022 के एक पत्र द्वारा भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा से टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग के सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित रुप में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले एवं लाइसेंस रहित उपयोग पर परामर्श पत्र पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणी मांगने के लिए **''टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग के सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित रुप में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले एवं लाइसेंस रहित उपयोग पर परामर्श पत्र** '' पर परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड किया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 25.10.2023 तक लिखित टिप्पणियां और 08.11.2023 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ई-मेलआईडी: advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव,भादूविप्रा